अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 16/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ) -- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 21/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना की सारणी में,--

(क) क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 3 में "सभी माल" शब्दों के पश्चात् "मोबाइल फोन और टेबलेट कंप्यूटर के पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड (पीसीबी)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) क्रम सं0 14क और उससे संबंधित प्रविष्टियों लोप किया जाएगा ;

(ग) क्रम सं0 14घ के सामने स्तंभ 3 में "[सिवाय पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड (पीसीबी)] कोष्ठक, शब्द और अक्षर के स्थान पर, “सिवाय सेलुलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेटों के चार्जर/अडेप्टर, बैटरी और तार वाले हैडसेट और स्पीकर तथा पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड (पीसीबी) के लिए उपलब्ध नहीं होगी” ;

(घ) क्रम सं0 45क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं0 और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
“45कक.	2902 41 00	थैलिक और एनहाइड्राइड के विनिर्माण में उपयोग के लिए ओक्सीलिन : परन्तु आयातकर्ता सीमाशुल्क	2% मूल्यानुसार"

		(उत्पाद-शुल्क्य मालों के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर मालों का आयात) नियम, 1996 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा ।	

(ङ) क्रम सं0 82 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
“82क.	84, 85 या 90	अर्द्धचालक और लिक्विड डिस्पले (एलसीडी) को तैयार करने के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनरी, वैद्युत उपस्कर, अन्य उपकरण और उनके पुर्जे [पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड को छोड़ कर] : परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट, अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 5 के अधीन होगी ।	शून्य
82ख.	84, 85 या 90	अर्द्धचालक चिपों के संयोजन, परीक्षण, चिह्नांकन और पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी, वैद्युत उपस्कर, अन्य उपकरण और उनके पुर्जे [पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड को छोड़ कर] : परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट, अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 5 के अधीन	शून्य"

		होगी ।	

(च) क्रम सं0 85 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"85क.	8473 30 या 8517 70	मोबाइल फोनों और टेबलेट कंप्यूटर के विनिर्माण में उपयोग के लिए पापुलेटेड मुद्रित परिपथ बोर्ड (पीसीबी) : परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट, अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012 से उपाबद्ध शर्त सं0 5 के अधीन होगी ।	2%"

(फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 194(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 11/2015-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015, सं. सा.का.नि. 133(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।